भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010
(2010 का 01)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2010

सं0 116–1/2010–एमएन –––––– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌:–

1.(1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के विनियम 1 के उप–विनियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''(ख) इन विनियमों के विनियम 6,7,8,9,10,11,12 और 13, 31 मार्च, 2010 को प्रवृत्त होंगे''

(आर0के0 आर्नल्ड)

सचिव

टिप्पणी 1.— प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड 4 में अधिसूचना सं0 116—4/2009—एमएन(खंड II) दिनांक 23 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2.— व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 01) के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किए थे जिनमें देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी संव्यवहार प्रक्रिया ढांचा निर्धारित किया गया था। इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 से क्रियान्वित किए जाने अपेक्षित थे।

2. विभिन्न सेवा प्रदाताओं की वर्तमान तैयारियों तथा अंतर्निहित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इन विनियमों के क्रियान्वयन के लिए समय को, सभी सर्किलों के लिए, 31 दिसम्बर, 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 करने निर्णय लिया है।

3. अतः दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के विनियम उप–विनियम (2) के खंड (ख) को संशोधित किया गया है।